(44)

नि.प्र. 5773/2018/सीधी/भू.रा.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा म.प्र.

श्यामलाल पटेल पिता जमुना प्रसाद पटेल उम्र 90 वर्ष निवासी ग्राम रायखार तह. रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र. हाल निवास ग्राम कुस्परी तह. चुरहट जिला सीधी म.प्र.

...............निगरानीकर्ता

बनाम्

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर सीधी म.प्र.

...............गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् उपखंड अधिकारी चुरहट तह. रामपुर नैकिन जिला सीधी म.प्र. के प्र.क. 50/A-74/2016–2017 आदेश दिनांक 17.11.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

## निगरानी के आधार निम्न हैं–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् उपखंड अधिकारी चुरहट तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के आदेश दिनांक 17.11.2017 विधि व संहिता के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2– यह कि निगरानीकर्ता विवादित पुराना आ.नं. 1143 रकबा 2.120 हे., 1144 रकबा 0.263 हे., 4445 रकबा 0.154 हे. भूमि स्थित ग्राम रायखोर तह. गोपदबनास जिला सीधी म.प्र. के भूमि को रामकृष्ण ढीमर से क्रय करके सुपरवाइजर, कानूनगो सर्किल (सरूभूमि) क. 91(A5A)/58-59 ओदश दिनांक 15.07.1959 को विवादित भूमि का नामांतरण निगरानीकर्ता के नाम स्वीकृत हुआ और तब से राजस्व रिकार्ड खसरा में वर्ष 1956–57 व 1958–59 के खसरे में विवादित भूमि रामकृष्ण ढीमर के बजाय निगरानीकर्ता श्यामलाल पिता जमुना कुर्मी राजस्व रिकार्ड के खसरा में दर्ज हो गया तब से उक्त विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता काबिज होकर कास्त करता आ रहा है।

2– यह कि विवादित भूमियों के पुराने खसरा नं. में वर्ष 1956–57 से वर्ष 1975–76 तक निगरानीकर्ता का नाम राजस्व रिकार्ड खसरा में दर्ज रहा है और रिकार्ड ऑफ राईट के दौरान उक्त विवादित भूमियों के पुराने मम्बर परिवर्तित होकर नया नम्बर 1292 रकबा 0.263 हे., 1293 रकबा 0.154 हे. व 1303 रकबा 2.118 हे. निर्मित किये गये जो अधिकार अभिलेख 1978–79 में विवादित भूमि के नवीन

........2

(५५)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5773 / 2018 / सीधी / भू–रा0 जिला–सीधी

श्यामलाल पटेल / म0प्र0 शासन

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 18.12.18 | 1. आवेदक की ओर से श्री आर0पी0 पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 50 / ए–74 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17.11.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |

हे. निर्मित किये गये जो अधिकार अभिलेख 1976–77 में विवादित भूमि के नवीन

.....2